

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 68/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

बनाम

.....प्रार्थी

श्री जगदम्बा ट्रक बॉडी रिपेयरिंग, हिलावाडा बाईपास, पुलिसा के पीछे, एन.एच.79, अजमेर
जरिये श्री राधाकिशन जांगिड पुत्र श्री भंवरलाल, निवासी-चांदमा, टाटोटी के निकट,
नसीराबाद, जिला-अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 31.10.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2018 को जिला
रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार धरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से
व्यावसायिक दुरुपयोग/ धरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के
अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा
अपने व्यवसाय स्थल पर धरेलू गैस सिलेण्डर का गैस विल्डिंग में दुरुपयोग करते पाये
जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक धरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	267823	HPCL	15.7	20.3	4.6	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। धरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एलपीजी
आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 01 धरेलू सिलेण्डर को राजहित
में कब्जेराज लेकर मौके पर मलका गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री फिरोज खान पुत्र श्री
अमीन अहमद खान निवासी-राजनारायण रोड, नसीराबाद को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी
द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 धरेलू सिलेण्डर को राजसात करने
हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया
गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली
वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई रुक-रुक कर आवाजे लगावाने पर भी
प्रार्थी / अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

W



जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी, बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये, ना ही उनके द्वारा जरिये जवाब ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत किये गये, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



An
(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर